झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018– .... राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नदियों पर वर्ष 2018–19 में गेज डिस्चार्ज मापन का कार्य तथा रेन गेज संधारण कार्य हेतु रुपये 82.38 लाख (बिरासी लाख अड़तीस हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नदियों पर वर्ष 2018–19 में गेज डिस्चार्ज मापन का कार्य तथा रेन गेज संधारण कार्य हेतु रुपये 82.38 लाख (बिरासी लाख अड़तीस हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके लिए विभाग में निम्नलिखित कंडिकावार कार्य प्रस्तावित हैं :–

(i) समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1 रॉची के अधीन विभिन्न नदियों पर कुल 23 अद्द गेज स्थल तथा समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2 देवघर के अधीन विभिन्न नदियों पर कुल 17 अद्द गेज स्थल पर गेज पठन का कार्य

(ii) विभिन्न नदियों के कुल 40 गेज स्थलों में से प्रत्येक गेज स्थल पर एक गेज प्रवाचक तथा एक गेज खलासी हेतु 168 दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान।

(iii) गेज पीलरों की रंगाई तथा कैलिब्रेशन का कार्य

(iv) डिस्चार्ज मापन हेतु फ्लोटिंग सामग्री का कय

(v) गेज स्थलों पर नदी का आड़ी काट (Pre & Post) लेने हेतु मजदूरों का भुगतान।

(vi) वर्ष 2018–19 हेतु Water Year Book का प्रकाशन

3. कंडिका–2, में उल्लेखित सभी कार्यों के सम्पादन हेतु होने वाले व्यय के लिये एक मुश्त रुपये 82.38 लाख (बिरासी लाख अड़तीस हजार रूपये मात्र) का प्रस्ताव है।

4. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

(i) माँग संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष – 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष – 796 – जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना उप शीर्ष

– 75– सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान 49 आर्थिक सहायता (49S470180 796750649) एवं

(ii) माँग संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष – 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष – 800 – अन्य व्यय, उप शीर्ष –75– सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष – 07– अन्य व्यय 59–अन्य व्यय (49S470180800750759) के अर्न्तगत विकलनीय होगा।

5. कंडिका 2 में उल्लेखित समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1, राँची से संबंधित कार्यों हेतु **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची** होंगे और समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2, देवघर के अधीन कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **कार्यपालक अभियंता समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2 देवघर होंगे, इन सभी कार्यो के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची होंगे।**

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी इन कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेगें।

7. प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2018–19 के बजट में कुल रुपये 3750.00 लाख का मूल उपबंध है।

10. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में ही पूर्ण किया जाएगा।

11. प्रस्तावित कार्यो पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

13. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018– 4311819 प्र.सी. राँची, दिनांक 26.12.2018

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)।